झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची

एक्विटल (दोष मुक्ति) अपील संख्या–19 / 2006

राज्य, इंसपेक्टर के माध्यम से (प्रर्वतन अधिकारी) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन

..... अपीलार्थी।

बनाम्

1. श्री सुभाष चन्द्र वर्षानी

2. श्री एस0डी0 सिंह ..... प्रत्यर्थीगण।

कोरम : माननीय श्री न्यायाधीश अनंत बिजय सिंह

अपीलार्थी के लिए : श्री योगेन्द्र प्रसाद, अधिवक्ता।
प्रत्यर्थीगण के लिए : श्री जी0एम0 सिंह, अधिवक्ता।

10 / दिनांकः 10 / 04 / 2018

वर्तमान दोषमुक्ति अपील क्रिमिनल एम0पी0 सं0–430 / 2006 में माननीय खण्ड न्यायपीठ द्वारा पारित दिनांक 12.07.2006 के आदेश के अनुसरण में दं0प्र0सं0 की धारा 378 के अधीन दाखिल की गई है जिसके द्वारा माननीय न्यायाधीशों ने श्री अजित कुमार मोदी, जे0एम0, प्रथम श्रेणी, सरायकेला द्वारा सी0 / 2 केस सं0–141 / 1996, टी0आर0 सं0–943 / 2005 के तत्सम में पारित दिनांक 30.09.2005 के दोषमुक्ति के निर्णय के विरूद्ध अपील करने की अनुमति प्रदान किया है जिसके द्वारा विद्वान विचारण न्यायालय ने प्रत्यर्थियों को कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की धाराएँ 14(1ए), 14(1बी) के अधीन आरोपों से दोषमुक्त

किया था और दोनों प्रत्यर्थियों को उनके परस्पर जमानत बंधपत्र के दायित्व से उन्मोचित कर दिया है।

2. संक्षेप में अभियोजन का मामला यह है कि प्रत्यर्थीगण कंदरा में हरीश चंद्र विद्या मंदिर के नाम पर एक स्कूल चला रहे थे और बीस व्यक्ति संस्थान में नियोजित थे और संस्थान कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के दायरे में आता है। प्रत्यर्थी सं0–1 सुभाष चन्द्र वर्षानी अध्यक्ष थे और प्रत्यर्थी सं0–2 एस0बी0 सिंह क्रमशः उक्त संस्था के मानद् सचिव और कार्यकारी प्रबंधक थे।

3. कर्मचारी भविष्य निधि के प्रवर्तन निरीक्षक ने संस्थान का निरीक्षण किया और पाया कि प्रत्यर्थीगण जुलाई 1992 से सितम्बर 1992 तक कर्मचारियों और नियोक्ता अंशदान भविष्य निधि राशि जमा करने में विफल रहे। यह भी पाया गया कि प्रत्यर्थीगण उसी अवधि के लिए पारिवारिक पेंशन निधि में बीमा राशि जमा करने में विफल रहे हैं। प्रत्यर्थीगण उक्त अवधि की उक्त स्थापना का रिकॉर्ड प्रस्तुत करने में भी विफल रहे हैं।

4. इसके बाद, प्रवर्तन ने उसी अपराध के संबंध में अभियोजन रिपोर्ट ए0सी0जे0एम0, सरायकेला के समक्ष दायर की, जिन्होनें ई0पी0एफ0 एवं एम0पी0 अधिनियम की धारा 14(1ए), 14(1बी) के अधीन संज्ञान लिया और मामला विचारण एवं निपटान के लिए अंतरित किया। प्रत्यर्थियों को अभियोग समझाया गया था, जिसमें उन्होनें दोषी नहीं होने का अनुरोध किया और विचारण किए जाने का दावा किया। अभियोजन पक्ष ने मामले में तीन गवाहों को प्रस्तुत किया। अ0सा0–1 सुबीर कुमार

सरकार हैं, जो भविष्य निधि आयुक्त कार्यालय में क्लर्क हैं। उन्होनें अभियोजन रिपोर्ट (प्रदर्श–1) और मामले के अनुमोदन आदेश (प्रदर्श–2) को सिद्ध किया।

6. अ0सा0–2 रविन्द्र सिंह हैं, जो भविष्य निधि आयुक्त कार्यालय में एक वरीय पर्यवेक्षक हैं, जिन्होनें यह अभिसाक्ष्य दिया है कि प्रत्यर्थियों ने मार्च 1982 से दिसम्बर 1992 की अवधि के लिए भविष्य निधि कार्यालय में भविष्य निधि राशि जमा नहीं की है और उन्होनें कार्यालय में मासिक रिटर्न भी दाखिल नहीं किया है।

7. अ0सा0–3 महेश्वर प्रसाद चौरसिया भविष्य निधि आयुक्त कार्यालय में सहायक लेखा अधिकारी हैं और इस मामले के सूचक भी हैं, जिन्होनें अभियोजन रिपोर्ट और अनुमोदन आदेश को साबित किया जिन्हें पहले से ही प्रदर्श–1 एवं 2 के रूप में प्रदर्शित किया गया है। उन्होनें अभिसाक्ष्य दिया कि संस्था की कोड सं0–बी0आर0 12503 थी और उन्होनें स्कूल के नाम पर भविष्य निधि कोड नंबर और आवंटन आदेश को भी प्रदर्श–4 के रूप में साबित किया। उन्होनें अभिसाक्ष्य दिया है कि प्रत्यर्थियों ने ई0पी0एफ0 राशि जमा नहीं की है और मासिक रिटर्न भी दाखिल नहीं किया है। उन्होनें आगे अभिसाक्ष्य दिया है कि उन्होनें 2–3 बार संस्थान का निरीक्षण किया था, लेकिन संस्थान ने उनके समक्ष निरीक्षण के लिए रिकॉर्ड प्रस्तुत नहीं किया। उन्होनें स्कूल की ओर से दायर फॉर्म–वी को भी प्रदर्श–3 के रूप में साबित किया है। उन्होनें आगे अभिसाक्ष्य दिया है कि प्रत्यर्थियों के खिलाफ ई0पी0एफ0 अधिनियम की धारा के अधीन कार्यवाही शुरू की गई थी और उन्हें त्रुटियों को दूर करने के लिए निर्देशित किया गया था। लेकिन प्रत्यर्थियों ने आदेश का पालन नहीं किया।

8. अपने मामले के समर्थन में बचाव पक्ष ने माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा क्रिमिनल एम0पी0 सं0–811, 812, 813, 814, 815, 816 और 817 वर्ष 2003 में पारित आदेश दिनांक 10.01.2005 दायर किया, जिसे प्रदर्श–'ए' के रूप में चिन्हित किया गया था।

9. पक्षों को सुनने के बाद, विचारण न्यायालय ने सी/2 केस सं0–141/1996, टी0आर0 सं0–943/2005 के तत्सम में श्री अजित कुमार मोदी, जे0एम0, प्रथम श्रेणी, सरायकेला द्वारा पारित दिनांक 30.09.2005 के दोषमुक्ति के निर्णय के तहत प्रत्यर्थियों को कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा 14(1ए), 14(1बी) के तहत आरोपों से बरी कर दिया और दोनों प्रत्यर्थियों को उनके परस्पर जमानत बांड के दायित्व से उन्मोचित कर दिया।

10. इसके पश्चात् अपीलार्थी ने अपील करने के लिए अनुमति की मांग करते हुए क्रिमिनल एम0पी0 सं0–430/2006 दाखिल किया है, जिसे माननीय डिवीजन बेंच के दिनांक 12.07.2006 के आदेश द्वारा अनुमति दी गई थी और अपीलार्थी को दोषमुक्ति अपील फाइल करने की अनुमति दी गई थी। तद्नुसार अपीलकर्त्ता द्वारा वर्तमान दोषमुक्ति अपील दायर की गई है।

11. अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता और प्रत्यर्थियों के विद्वान अधिवक्ता सुने गए।

12. ऐसा प्रतीत होता है कि वर्तमान अपील 21.08.2006 को दायर की गई है और दिनांक 14.11.2006 के आदेश के तहत इस अपील को सुनवाई के लिए स्वीकार

किया गया था। इस अपील को दिनांक 15.01.2018 को इस खण्डपीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया गया था और प्रत्यर्थियों के विद्वान अधिवक्ता के अनुरोध पर मामले को दिनांक 24.01.2018 को और तत्पश्चात् दिनांक 03.04.2018 को सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया गया था। चूंकि प्रत्यर्थीगण 03.04.2018 को मौजूद नहीं थे, इसलिए मामले को 10.04.2018 को सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया गया।

13. आज, जब मामला बुलाया जाता है, अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने आक्षेपित निर्णय का विरोध करते हुए कहा है कि ट्रायल कोर्ट ठीक से अपने विवेक का इस्तेमाल करने में विफल रही है और गलत तरीके से प्रत्यर्थियों को उनके विरूद्ध विरचित आरोपों से दोषमुक्त किया है।

14. प्रत्यर्थियों के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रदर्श–'ए' की दृष्टि में आक्षेपित निर्णय में कोई अवैधता नहीं है।

15. पूरे रिकॉर्ड और ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय का परिशीलन के बाद एसा प्रतीत होता है कि ट्रायल कोर्ट यह विचार करने में विफल रही है कि प्रत्यर्थीगण कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा 14(1ए), 14(1बी) के प्रावधान का अनुपालन करने में व्यतिक्रमी था। विद्वान दण्डाधिकारी अपने में निहित अधिकारिता का उपयोग करने में विफल रहे हैं और मामलों में अंतर्ग्रस्त कानून के प्रावधानों पर चर्चा किए बिना प्रत्यर्थियों को बरी कर दिया है।

16. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, यह अपील अनुज्ञात की जाती है और आक्षेपित निर्णय अपास्त किया जाता है और मामला नए सिरे से सुनवाई के लिए और कानून के अनुरूप निर्णय पारित करने के लिए मामले को ट्रायल कोर्ट को प्रतिप्रेषित किया जाता है।

17. ट्रायल कोर्ट को अपीलकर्त्ता के साथ–साथ प्रत्यर्थियों को ट्रायल कोर्ट में अपना मामला पेश करने का अवसर देने के लिए नोटिस जारी करने का निर्देश दिया जाता है।

18. ट्रायल कोर्ट को आदेश संसूचित किया जाए।

19. कार्यालय को सम्पूर्ण निचली अदालत अभिलेख, ट्रायल कोर्ट में भेजने के लिए भी निर्देशित किया जाता है।

ह0

(अनंत बिजय सिंह, न्याया0)